



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 1584 वर्ष 2026

पूर्व एनके सोमनाथ मिश्रा  
याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

भारत संघ और 5 अन्य

.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : शुभांशु पांडे  
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : एसजीआई, अजय कुमार गौतम, सीएससी

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुभांशु पांडे और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार गौतम की बात सुनी।
- प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि याचिकाकर्ता के पास सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के समक्ष जाने का एक वैकल्पिक उपाय है, जिसके पास इस मामले पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है, विशेष रूप से तब जब याचिकाकर्ता सशस्त्र बल का सदस्य है और पूर्व नायब है।
- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके।
- हस्तक्षेप से इनकार कर दिया गया है, रिट याचिका का निस्तारण कर दिया गया है और याचिकाकर्ता के लिए सशस्त्र बल अधिकरण में जाने का विकल्प खुला है।
- आज दाखिल किए गए निर्देशों को अभिलेख में दर्ज कर लिया गया है और परिशिष्ट 'ए' के रूप में चिह्नित किया गया है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

4

फरवरी, 2026  
राजेश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"